



The Uttaranchal Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003

Act 12 of 2003

Keyword(s):

Additional Tax, Goods Carriage, Limited Quantity of Load, Old Motor Vehicle, Operator, Owner, Passenger

Amendments appended: 16 of 2011, 35 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 176/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 12, वर्ष 2003)

राज्य में मोटरयानों पर आरोपित करों में सुधार करने के लिए

भारत गणराज्य के चौवनवें-वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अधिनियम

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में -

- (क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन आरोपित कर के अतिरिक्त, धारा 5 या धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;
- (ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;
- (ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र से है कि मोटरयान को मोटरयान अधिनियम, 1988, या मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;
- (घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटरयान से है जो माल ढोने के लिये पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटरयान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो कि वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रैलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई टेका गाड़ी या कोई मजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी टेका गाड़ी या मजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में ढोने के लिये प्राधिकृत हो;
- (ङ) "परिसीमित मात्रा का मार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक मार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करें;
- (च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबंधों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;
- (छ) किसी परिवहन यान के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में हो, और जब ऐसा न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;
- (ज) किसी मोटरयान के संबंध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

- (अ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सदभावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है;
- (ब) "तिमाही" का तात्पर्य तीन कलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है;
- (द) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (त) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;
- (ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की समी या कोई शक्ति प्रदान की जाये;
- (ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है;
- (ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

3. (1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाये किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या मोटरयानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है :-

छूट देने की शक्ति

- (क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त मूलतः दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी मूलतः प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

4. (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो:

कर का आरोपण

परन्तु जहाँ किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (यथा उत्तरांचल में लागू) के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा 5 के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहाँ ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटरयान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी परिवहन यान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, परिवहन यान के रूप में चलाया जाय वहां ऐसे परिवहन यान पर इस अधिनियम के अधीन देय कर देय होगा।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची के भाग-ख, भाग-ग या भाग-घ में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

माल वाहनों पर
अतिरिक्त कर

5. (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई माल वाहन उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके संबंध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति-

(क) उत्तरांचल के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची के भाग "ख";

(ग) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा:

परन्तु इस प्रकार उदग्रहीत अतिरिक्त कर, उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहीत होता।

सार्वजनिक
सेवा यान पर
अतिरिक्त कर

6. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान के अधीन धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो, सार्वजनिक मार्गों पर संचालित नहीं किया जायेगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उत्तरांचल राज्य के परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में अतिरिक्त कर उदग्रहण और भुगतान पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार किया जायेगा।

(3) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले सार्वजनिक सेवा यान के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(4) जहां सार्वजनिक सेवा यान के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा:

परन्तु इस प्रकार उदगृहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदगृहीत होता।

(5) जहां किसी सार्वजनिक सेवा यान को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दी गयी हो, वहां धारा 8 के अधीन स्थापित निधि के प्रयोजन के लिये उसके संचालक पर उस अतिरिक्त कर के, जो ऐसे यान पर देय होता यदि उसे इस प्रकार की छूट न दी गई होती, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार का उदग्रहण किया जायेगा और ऐसी धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी।

7. प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के संबंध में देय कर की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिए उत्तरांचल में समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा, "क-वर्ग" के मार्गों या "ख-वर्ग" के मार्गों के रूप में किया जायेगा।

8. (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उदगृहीत अधिभार, और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उदगृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

9. (1) धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए

(एक) धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा।

परन्तु किसी पुराने मोटरयान के संबंध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(दो) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक तिमाही के लिये और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप देय होगा;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर (उस मामले से भिन्न जिस पर उपखंड (ख) लगा होता है) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की एक-तिहाई दर से प्रत्येक कलेण्डर माह के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक समाजों जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के संबंध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।

कर या अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण दुर्घटना राहत निधि

कर और शास्ति का भुगतान

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस संबंध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटरयान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटरयान के संबंध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटरयान का स्वामी था।

(3) जहाँ किसी मोटरयान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का मुग्तान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहाँ देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रुपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

कर मुग्तान
किये बिना
उत्तरांचल में
यानों का
उपयोग नहीं
किया जायेगा

10. (1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल से बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी/स्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तरांचल में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में—

(एक) उत्तरांचल में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गई रीति से की जायेगी, मुग्तान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति भार वाहन की दशा में धारा 5 या ठेका वाहन की दशा में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का मुग्तान न कर दिया गया हो;

(तीन) अन्तर्राज्यीय यात्री मार्गों पर दो राज्यों के करार अनुसार अनुमत मंजिली परमिट के वाहन की दशा में धारा 6 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में वाहन का अतिरिक्त कर न जुमा कराया जा रहा हो।

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 12 के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तरांचल में नहीं चलायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर का जिसकी गणना तृतीय अनुसूची के खण्ड-ख में विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी, मुग्तान विहित रीति से न कर दिया गया हो।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, मोटर व्हीकिल्स (ऑल इण्डिया परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई सार्वजनिक सेवा यान उत्तरांचल राज्य में नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का मुग्तान विहित रीति से चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर-दो के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से न कर दिया गया हो।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन कर के उदग्रहण और मुग्तान के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिए देय कर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर का 2/13 वां भाग होगा।

(3) अन्य राज्यों से प्राप्त अस्थायी/स्थायी परमिटों से आच्छादित वाहनों को उत्तरांचल राज्य में बिना देय कर व अतिरिक्त कर के संचालित पाये जाने की दशा में प्रत्येक देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर शास्ति देय होगी।

(4) बिना परमिट उत्तरांचल में प्रवेश कर संचालित पाये जाने वाले ऐसे वाहनों पर कर (मार्गकर) निम्नलिखित दर पर वसूला जायेगा, जो निम्नवत् होगा—

(एक)	मोटर कैब	रुपये—600.00
(दो)	मैक्सी कैब	रुपये—750.00
(तीन)	ओमनी बस	रुपये—3000.00
(चार)	भार वाहन	रुपये—3000.00

तथा,

ऐसे वाहनों से अतिरिक्त कर की मासिक दर निम्नवत् होगी, जिसके साथ 25 प्रतिशत शास्ति देय होगी (अतिरिक्त कर के अलावा)

(एक)	मोटर कैब—	धारा 28(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(दो)	मैक्सी कैब—	धारा 28(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(तीन)	ओमनी बस—	धारा 28(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(चार)	भार वाहन—	देय मासिक अतिरिक्त कर का दो गुना लेकिन न्यूनतम रु0 2000.00।

(5) निजी वाहन एवं प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित पाये जाने पर इन वाहनों पर देय कर/अतिरिक्त कर (प्रत्येक बार पकड़े जाने पर) —

क्रम संख्या	अनधिकृत संचालन का स्वरूप	देय मार्गकर (रुपये में)	देय अतिरिक्त कर (रुपये में)
1.	टैक्सी/मोटर कैब के रूप में	1500.00	2000.00
2.	मैक्सी कैब के रूप में	2000.00	4000.00
3.	प्राइवेट सर्विस वाहन में किराये की सवारी ले जाते पाये जाने पर	3000.00	8000.00
4.	ट्रैक्टर (ट्रेलर संलग्न)	2000.00	4000.00

11. जब किसी परिवहन यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर किसी तिमाही के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार देय हो, तब यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके भाग के लिए जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर देय हो, समुचित तिमाही कर का एक तिहाई होगा।

12. (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का मुग्तान कर दिया है, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटरयान का, जिसके संबंध में ऐसे कर का मुग्तान कर दिया गया है, अन्तिम बार कर का मुग्तान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी अवधि के प्रत्येक (तीस दिन) के लिए जिसके लिये मुग्तान किया गया हो, देय तिमाही कर की दर के एक तिहाई के बराबर हो;

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अम्यर्पित न कर दे।

प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि

यान का अनुपयोग और कर का वापस करना (धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी)

(2) जहाँ किसी मोटरयान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहाँ वह यथास्थिति, कर का अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहाँ कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटरयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के संबंध में प्रत्येक पूर्ण कलेंडर मास की उस अवधि के लिये जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा:

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथा उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक कर का देनदान होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्त्र का भी देनदार होगा।

(3) जहाँ परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहाँ वह उक्त अवधि के लिये द्वितीय अनुसूची के भाग "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी की हकदार होगा:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उसके स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक कलेंडर मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी द्वितीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उनसे ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर-यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटरयान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

(6) जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटरयान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक कलेंडर मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहाँ वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेंडर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो:

परन्तु ऐसी वापसी तक तब अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसे वापसी का दावा किया जाए, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक जो उपधारा(1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, यथास्थिति धारा 5 या 6 के अधीन मुग्तान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो उक्त अवधि के लिए आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धांतों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है।

(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।

(9) किसी यात्री अथवा माल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की दशा में सक्षम कर अधिकारी की संस्तुति के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की दशा में इस हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कलेंडर माह की अवधि के लिए वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा जिसके हेतु कर की देयता अनुसार सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे—

₹0 10,000.00 तक	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
₹0 10,000.00 से 20,000.00 तक	संभागीय परिवहन अधिकारी
₹0 20,000.00 से 30,000.00 तक	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप-परिवहन आयुक्त (यान्त्रीकर) एवं अपर परिवहन आयुक्त
₹0 30,000.00 से अधिक राशि हेतु	परिवहन आयुक्त

सक्षम होंगे तथा सम्यक जांचोपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा कर/अतिरिक्त कर का परिहार किया जायेगा।

13. (1) प्रत्येक मोटरयान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, मुग्तान करेगा।

यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

(2) जहां किसी मोटरयान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बड़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का मुग्तान करेगा।

14. जहां किसी ऐसे मोटरयान में, जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर का मुग्तान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊंची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहां उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

कर में अन्तर का मुग्तान

15. (1) कराधान अधिकारी मोटरयान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर का मुग्तान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में टोकन भी जारी करेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर के मुग्तान का अभिलेखन और टोकन का दिया जाना

(2) कराधान अधिकारी इस निमित्त विहित प्रमाण-पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, धारा 5 या 6 के अधीन अतिरिक्त कर का मुग्तान अभिलिखित करेगा।

यान को रोकने
और प्रवेश करने
की शक्ति

16. कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटरयान का ड्राइवर यान को रोकेंगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

समय-सारणी
का दिया जाना

17. (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में की गयी एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

(3) उपधारा (1) निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।

अपील

18. (1) धारा 12 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

अपराधों का
दण्ड

19. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिये जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

कर की वसूली

20. (1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटरयान जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम बार होगा।

साक्षियों आदि
को हाजिर होने
को प्रवृत्त करने
की शक्ति

21. अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती हैं—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

कर का भुगतान
न करने की
दशा में परिवहन
यान को निरुद्ध
करना

22. (1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी परिवहन यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है, जहां पुलिस अभिरक्षा में वाहन को लिया जाना अनिवार्य होगा तथा पुलिस तब तक अपनी अभिरक्षा में रखेगी जब तक सक्षम अधिकारी का वाहन मुक्त करने का आदेश पारित न हो जाए:

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा-2 के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और इतिशेष को यदि कोई हो, यान के स्वामी/संचालक को वापस कर दिया जायेगा।

23. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

24. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जायं, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।

अपराधों का प्रशमन

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा।

अपराध का संज्ञान

26. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा:

कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव,

निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से
किये गये कार्य
का संरक्षण

27. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति

28. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्—

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

(ख) किसी प्रमाण-पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण-पत्र दिया या अन्तर्हित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के संबंध में या उसमें आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उनकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय-सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है;

(ट) वह रीति विहित करना जिसमें उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग क्रिया जायेगा;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

29. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रमादी होगा: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध जैसे वे किसी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते थे, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

30. (1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा उत्तरांचल में लागू) को एतद्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के भीतर निरसित किया जाता है।

(2) उत्तरांचल गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

निरसन और अपवाद

प्रथम अनुसूची (धारा-4 देखिये)

भाग "क"

परिवहन यानों से भिन्न यानों का वर्गीकरण जिनके संदर्भ में इस अनुसूची के भाग "ख" और "ग" और द्वितीय अनुसूची के भाग "क" और "ख" में दरे विहित की गयी हैं।

यानों का विवरण

प्रस्तर एक—मोटर साइकिल (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपोंड भी है)

- (1) वजन में 80 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (2) वजन में 80 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

प्रस्तर दो— (1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाये गये और उपयोग में लाये जाने वाले यान जो मोटर साइकिल न हों और जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।

- (2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

प्रस्तर तीन— ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाये गये या उपयोग के लिये अपनाने गये 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लदान रहित यान, जिनके अन्तर्गत मोटर साइकिलें भी हैं—

- (1) (क) वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ख) वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ग) वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (घ) वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ङ) वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित।

- (2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले

ट्रेलर।

भाग "ख"

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन डीजल/पेट्रोल भाहित यानों पर एक बार देय कर की दरें
एक बार देय कर की दर. रुपये में

क्रम. सं.	भाग 'क' के प्रस्तर के अनुसार मोटरयान	9-11-88 को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में और दिनांक 1.1.88 को या उसके पश्चात दिनांक 8.11.88 तक रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	एक (1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2.	एक (2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	163.00	163.00	163.00
3.	दो (1)	वाहन के मूल्य का 2.5% अथवा न्यूनतम 5,000.00	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00
4.	दो (2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5.	तीन (i) (a)	वाहन के मूल्य का 2.5%	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6.	तीन (i) (b)	वाहन के मूल्य का 2.5%	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7.	तीन (i) (c)	वाहन के मूल्य का 2.5%	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00
8.	तीन (i) (d)	वाहन के मूल्य का 2.5%	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00
9.	तीन (i) (e)	वाहन के मूल्य का 2.5% और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	12209.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	4501.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए
10.	तीन (2)	5324.00	4888.00	4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	968.00	532.00
		1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी, अर्थात् -

- (क) एकल व्यक्ति,
- (ख) नगर पालिका परिषद, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,
- (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,
- (घ) कोई मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था,
- (ङ) कोई सार्वजनिक पुस्तकालय,
- (च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति।

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से अभिन्न) कर की दरें

क्रम संख्या	भाग "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	90.00
2.	एक (2)	150.00
3.	दो (1)	500.00
4.	दो (2)	55.00
5.	तीन (1) (क)	528.00
6.	तीन (1) (ख)	748.00
7.	तीन (1) (ग)	1034.00
8.	तीन (1) (घ)	1210.00
9.	तीन (1) (ङ)	1210.00
	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 484.00 रुपये	
10.	तीन (2)	110.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के संबंध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दोगुनी होंगी, अर्थात्—

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति

भाग "घ"

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दरें

प्रस्तर	यान का विवरण	कर की त्रैमासिक दरें (रुपये में)
1	2	3
एक	यात्रियों के सवारी के लिए और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये चलने वाले यान—	
	(1) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो	95.00
	(2) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	185.00
	(3) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) तीन पहियों वाले	185.00
	(ख) अन्य	230.00

(4) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बारह से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	350.00
(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	201.00
(5) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	
(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	350.00
(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	30.00
(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	201.00
(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	8.00
(6) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	
(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	590.00
(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	35.00
(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
(एक) प्रथम बीस सीटों के लिये	265.00
(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	11.50
(7) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
(क) यदि "क-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	1115.00 और
	पैंतीस से
	अधिक प्रत्येक
	स्थान के लिये
	45.00 रुपये
(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	438.00 और
	पैंतीस से अधिक
	प्रत्येक स्थान के
	लिये 17.00 रुपये

स्पष्टीकरण:—इस प्रस्तर के प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जाएगा।

दो सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसीमित मात्रा का परिवहन करने के लिये माड़े पर चलने वाले यान, यात्रियों के सीटों की प्राधिकृत संख्या के संबंध में प्रस्तर एक के अधीन देय कर के अतिरिक्त यान के (सकल यान मार) के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा (2) उपधारा (13) में परिभाषित माल की स्वीकृति पंजीयन/परमिट अनुसार]

45.00

1	2	3
तीन	केवल माल के परिवहन के लिये चलाये जाने वाले यानों जिसके अन्तर्गत ट्रेक्टरों से संलग्न ऐसे ट्रेलर नहीं हैं जिनका उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है, के (सकल यान भार) के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये:	
	(एक) एक सम्भाग के लिये	70.00
	(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिये	85.00
चार	ट्रेक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता है और जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता है: उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में मुग्तान किये गये कर के अतिरिक्त कर	45.00

स्पष्टीकरण-

- (एक) जहां पर किसी मोटरयान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से, किया जाता है जिससे कि वह इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देय कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगी।
- (दो) जहां कोई मोटरयान शयनयान से सज्जित हो, वहां प्रत्येक शयनयान को इस भाग के प्रस्तर एक और दो प्रयोजनों के लिये दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।
- (तीन) किसी मोटरयान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर जो इस भाग के प्रस्तर दो, तीन और चार में से किन्हीं के अधीन कर-योग्य हो, पृथक मोटरयान समझा जायेगा जिस पर उक्त प्रस्तर में यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 12 देखिये)

भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	मोटरयान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	3.00
2.	एक (2)	5.00
3.	दो (1)	20.00
4.	दो (2)	2.00
5.	तीन (1) (क)	24.00
6.	तीन (1) (ख)	34.00
7.	तीन (1) (ग)	47.00
8.	तीन (1) (घ)	55.00
9.	तीन (1) (ङ)	55.00
		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किग्रा. या उसके भाग के लिये 22.00 रुपये
10.	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटरयानों जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का मुग्तान कर दिया गया हो, के संबंध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दोगुनी होगी।

भाग "ख"

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में) यदि यानों की आय उसके मूल रजिस्ट्रीकरण के माह से

क्र. सं.	प्रथम अनुसूची के खण्ड "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	एक वर्ष से अधिक न हो	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अधिक न हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	एक (1)	475.00	317.00	158.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एक (2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दो (1)	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00	शून्य
4.	दो (2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	शून्य
5.	तीन (i) (क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	शून्य
6.	तीन (i) (ख)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	शून्य
7.	तीन (i) (ग)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	शून्य
8.	तीन (i) (घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
9.	तीन (i) (ङ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
		और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	
		किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000	
		किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	किलोग्राम या उसके भाग के लिए	
		4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	968.00	532.00	शून्य
10.	तीन (2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	शून्य

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी।

तृतीय अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

(क) पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर	संचालन क्षेत्र	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर
एक	पर्वतीय मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिये रुपये 210.00
दो	उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिए रुपये— 85.00

परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के संबंध में देय अतिरिक्त कर की दर प्रस्तर एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

स्पष्टीकरण:—

- (1) जहां कोई मोटर यान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तर के अधीन कर योग्य हो, वहां अतिरिक्त कर सबसे ऊँची समुचित दर पर देय होगा।
- (2) पद "पर्वतीय मार्ग" का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं, और नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुये पश्चिम में लक्ष्मण झूला तक हैं और देहरादून नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कों भी हैं जो मसूरी की ओर जाती हैं।

(ख) उत्तरांचल राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिये अतिरिक्त कर 5000.00 रुपये होगा।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर— एक

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें:—

क्रम संख्या	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (कि०मी० में)	तिमाही अतिरिक्त कर की धनराशि (समस्त प्रकार के वर्गीकृत मार्गों की श्रेणी के लिए)
1.	4500 कि०मी० तक	मैदानी मार्गों पर संचालन हेतु रुपये—154.00 प्रति सीट पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु रुपये—146.00 प्रति सीट
2.	4500 कि०मी० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० पर	रुपये—0.04 प्रति सीट प्रति कि०मी० जो उपरोक्त (1) में जोड़ा जाएगा

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4620.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं हैं और 6600.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 से अधिक सीट हैं, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक समारोहों में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियां या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये, जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दर—

एक— ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो	उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए गए, प्रस्तर एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये— 200.00 प्रतिदिन
दो— ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो ।	उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए गए, प्रस्तर—एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये— 225.00 प्रतिदिन

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :-

(एक) एक्सप्रेस	प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।
(दो) सेमी डीलक्स	प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।
(तीन) डीलक्स	प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।
(चार) वातानुकूलित	प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नहीं की जाएगी जितने दिनों तक अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तरांचल के बाहर संचालित की गयी हों।

प्रस्तर—दो

(क) उत्तरांचल प्रदेश के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 74, 87 व 88 की उपधारा 9 के अधीन जारी सभी प्रकार के ठेका परमितों के अन्तर्गत जिनके पास किसी मार्ग के अस्थाई/स्थाई मंजिली वाहन का परमिट न हो।

उपखण्ड	वाहन का प्रकार	अतिरिक्त कर की दरें (प्रति सीट प्रति माह)
एक	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली मोटर टैक्सी	रुपये— 30.00
एक-क	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपहिया मोटर टैक्सी	रुपये— 30.00
एक-ख	उपखण्ड—एक और एक-क में विनिर्दिष्ट से मिल्न मोटर टैक्सी	रुपये— 85.00
दो	बड़ी टैक्सी	रुपये— 125.00
तीन	चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 12 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये— 160.00
चार	चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 20 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 41 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये— 160.00

उपखण्ड वाहन का प्रकार	अतिरिक्त कर की दरें (प्रति सीट प्रति माह)
पांच चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों या उससे अधिक के बैठने वाले यानों के लिए	रुपये— 160.00
छः सेमी डीलक्स बस के लिये	रुपये— 200.00
सात डीलक्स बस के लिये	रुपये— 225.00
आठ वातानुकूलित बस के लिये	रुपये— 255.00

(ख) उत्तरांचल की अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों से भिन्न अन्य प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत ठेका गाडी के संबंध में :-

तिमाही अतिरिक्त कर की दरें (रुपये में)

(एक) मोटर कैब (टैक्सी)	900.00
(दो) मैक्सी कैब	5100.00
(तीन) ओमनी बस	15000.00

(42-सीट तक डीलक्स, वातानुकूलित को सम्मिलित करते हुये)

स्पष्टीकरण—(1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाडी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त प्रस्तर (एक), में दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी जितनी मोटरयान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है। इस प्रयोजन के लिये किसी मंजिली गाडी के खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान को अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जायेगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी।

(2) इस अनुसूची के प्रस्तर (एक) के उपप्रस्तर (क) के अधीन किसी मंजिली गाडी की एक तिमाही में तय की गई दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय ऐसे एक फेरे में अन्तर्गस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

(3) ऐसे समय तक जब तक कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है, कोई संचालक इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व यून द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त तिमाही तय की गई दूरी पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

(4) एक्सप्रेस मंजिली गाडी का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाडी से है जो—

(क) ऐसे मार्ग पर संचालित हो उसकी लम्बाई 200 किलोमीटर से कम न हो और जो केवल जिला और तहसील मुख्यालय पर रुकती हो।

(ख) निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 x 38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40/15.24 x 23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकोट रैक्सीन के कवर हों।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियाँ—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील द्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(5) "सेमी डीलक्स मंजिली गाड़ी" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 x 40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें $40/17.78 \times 26.67$ सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियाँ—केन्द्रीय मोटर नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील द्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(6) "डीलक्स मंजिली गाड़ी" या "डीलक्स बस" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8 x 45.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) की कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे की कुशन फोम रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें $40/17.78 \times 26.67$ सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियाँ—भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिये गये मानकों के अनुसार 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें फिल्मयुक्त सुरक्षा शीशे लगे हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील द्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(7) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर और कण्डक्टर की सीट को सीट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहाँ कोई मोटरयान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो वहाँ देय अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगा।

(9) पर्वतीय क्षेत्र का तात्पर्य निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे -

- (क) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली और टिहरी गढ़वाल के जिले;
- (ख) जिला देहरादून की तहसील चकराता;
- (ग) नैनीताल, रुघमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ द फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, फोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मणझूला तक है; और
- (घ) देहरादून की नगरपालिका सीमा के बाहर मसूरी की ओर पड़ने वाला क्षेत्र।
- (10) (अ) इस अनुसूची में "नगर निगम" और "नगर पालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तरांचल में लागू) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तरांचल में लागू) में उनके लिये दिया गया है।
- (ब) जो यात्री वाहन राज्य सीमा के भीतर औद्योगिक संस्थान/शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत, अनुबंध के आधार पर संचालित होंगी वे 35 सीट तक 4620/- रुपये प्रति त्रैमास तथा उससे अधिक सीट की वाहन पर 6600/- रुपये प्रति त्रैमास अतिरिक्त कर देय होगा। (सीटों की संख्या चालक सहित) यह वाहन संस्थान के स्टाफ व शिक्षा हेतु स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु यथा परमिट सीमा के भीतर प्रयुक्त हो सकेंगी।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

धारा 6 के अधीन राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा देय अतिरिक्त कर का फार्मूला-

छ x 21

121

इस अनुसूची में "छ" का तात्पर्य किसी कलेण्डर मास के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्तर्गत यात्री यातायात पर उपक्रम की सकल प्राप्तियों से है।

छठी अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

उत्तरांचल से भिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये माल वाहन एवं ठेका यान के अस्थाई परमिटों की वाहनों पर धारा-10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दर-

एक-माल वाहन

अस्थाई परमिट के अधीन उत्तरांचल में माल वाहन के संचालन के दिनों की संख्या के लिए -

1- हल्का माल वाहन	प्रतिदिन 50.00 रुपये
2- मध्यम माल वाहन	प्रतिदिन 75.00 रुपये
3- भारी माल वाहन	प्रतिदिन 100.00 रुपये

दो-लोक सेवा यान (ठेका वाहन केवल)

ऐसे प्रत्येक वाहन के चालक सीट को छोड़कर प्रत्येक सीट प्रतिदिन परमिट अनुसार संचालन के लिये अतिरिक्त कर की दर-

(1) साधारण /सेमीडीलक्स श्रेणी की ठेका वाहन	रुपये- 30.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(2) डीलक्स बस	रुपये- 40.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(3) वातानुकूलित वाहन	रुपये- 45.00 प्रति सीट प्रतिदिन

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये "डीलक्स बस" का वही तात्पर्य होगा जो चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण 6 में इसके लिये दिया गया है।

मुग्तान किये गये अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन-

- (क) किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन मुग्तान किये गये अतिरिक्त कर की धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वही यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी।
- (ख) कर व अतिरिक्त कर का लेखा शीर्षक समान है, अतः समान वाहन स्वामी के आवेदन पर एक ही वाहन के कर व अतिरिक्त कर का यथा आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

No. 176/Vidhaye & Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, May 27, 2003

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Motor Vehicles Reforms Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2003) for general information.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL MOTOR VEHICLES TAXATION REFORMS ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 12 OF 2003)

AN

ACT

to provide for the reforms of all the taxes in the State imposed on motor vehicles; it is hereby enacted in the 54th year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003.
- (2) It extends to the whole of Uttaranchal.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Definitions

2. In this Act--
 - (a) "Additional tax" means a tax imposed under section 5 or section 6 in addition to the tax imposed under section 4;
 - (b) "Appellate Authority" means the Transport Commissioner, Uttaranchal or any other officer appointed by the State Government as Appellate Authority.
 - (c) "Certificate of registration" means the certificate issued by a competent authority to the effect that a motor vehicle has been duly registered in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force, relating to registration of motor vehicles;
 - (d) "Goods carriage" means any motor vehicle constructed or adapted wholly or partly for use for the carriage of goods, or any motor vehicles not so constructed or adapted when used for the carriage of goods either solely or in addition to passengers, and includes a trailer but does not include a motor cab, or maxi cab or a contract carriage or stage carriage where such contract carriage or stage carriage is authorized to carry a limited quantity of load;
 - (e) "Limited quantity of load" means such quantity of load, not exceeding the limits determined by the Transport Commissioner, Uttaranchal, as the Registering Authority may specify in the registration certificate in respect of a vehicle.
 - (f) "Old motor vehicle" means a motor vehicle other than a transport vehicle registered prior to February 5, 1988 under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939;

- (g) "Operator" in respect of a transport vehicle means a person whose name is entered in the permit or in an authorisation certificate issued under the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976, (As applicable in Uttaranchal) and where there is no such permit or authorisation certificate, the person whose name is entered in the certificate or registration in respect of such vehicle, and where the transport vehicle is the subject of a hire purchase agreement, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;
- (h) "Owner" in respect of a motor vehicle means the person whose name is entered in the certificate of registration issued in respect of such vehicle, and where such vehicle is the subject of an agreement of hire purchase or lease or hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor.
- (i) "Passenger" in relation to a public service vehicle means any person travelling in a public service vehicle, but does not include the operator, the driver, the conductor or an employee of the operator of the public service vehicle travelling in the *bonafide* discharge of his duties in connection with the public service vehicle;
- (j) "Quarter" means a period of three calendar months expiring on the last day of March, June, September or December;
- (k) "Region" means the area specified as region under sub-section (1) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 and includes a sub-region as may be specified by the State Government from time to time;
- (l) "Tax" means any tax levied under section 4;
- (m) "Taxation Officer" means an officer appointed as such by the State Government and includes any other officer on whom all or any of the powers of the Taxation Officer are conferred by a general or special order of the State Government;
- (n) "Transport vehicle" means a goods carriage or a public service vehicle;
- (o) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the respective meaning assigned to them in that Act.

3. (1) The State Government may, by rule or notified order, subject to such conditions and for such period, as may be specified, exempt, either wholly or partially, any motor vehicle or class of motor vehicles operating in furtherance of any educational, medical, philanthropic or other public purpose from . Power to exempt
- (a) the operation of this Act or any provision thereof, or
- (b) the payment of any tax under this Act.
- (2) The exemption granted, or the conditions for the exemption imposed, under sub-section (1) may be made effective retrospectively but not from a date earlier than the commencement of the financial year.
- (3) The State Government may, in the like manner withdraw any exemption granted under the sub-section (1) but such withdrawal shall not operate retrospectively.
4. (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no motor vehicle other than a transport vehicle, shall be used in any public place in Uttaranchal unless a one-time tax at the rate applicable in respect of such motor vehicle, as specified in Part 'B' of the First Schedule has been paid in respect thereof; Imposition of tax

Provided that where a one-time tax in respect of any such motor vehicle has been paid before the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act 2000 (As applicable in Uttaranchal) and such Tax has not been refunded under sub-section (5) of section 12, no tax under this sub-section shall be payable in respect thereof after such commencement:

Provided further that in respect of an old motor vehicle, instead of a one-time tax, annual tax at the rate applicable to such motor vehicle as specified in Part 'C' of the First Schedule may be paid.

- (2) Save as otherwise provided by or under this Act no transport vehicle shall be used in any public place in Uttaranchal unless a tax at the rate applicable to such motor vehicle, as specified in Part 'D' of the First Schedule has been paid in respect thereof.
- (3) Where any motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof onetime tax has been paid, is operated as a transport vehicle, the tax payable under this Act on such transport vehicle shall be payable.
- (4) The State Government may, by notification, increase by not more than fifty percent, the rates of tax, specified in Part 'B', Part 'C' or Part 'D' of the first Schedule."

Additional tax on goods carriages

5. (1) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage shall be operated in any public place in Uttaranchal, unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under section 4, an additional tax at the rate applicable to such goods carriage specified, as the case may be, in -
 - (a) Third Schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction within Uttaranchal, or
 - (b) Part 'B' of the Third Schedule, in the case of goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the Motor vehicles Act, 1988.
 - (c) Sixth Schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction outside Uttaranchal for inter-State route-party lying in Uttaranchal.

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty percent, the rates of additional tax specified in the said Schedules.

- (2) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttaranchal and any other State Government or a Union Territory, the levy of additional tax under the sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the additional tax so levied shall not exceed the additional tax, which could have otherwise been levied under this Act.

Additional tax on public service vehicle

6. (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no public service vehicle, other than those owned or controlled by the State Transport Undertaking shall be operated in any public place in Uttaranchal unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under Section 4, an additional tax at the rate applicable to such public service vehicle specified in the Fourth Schedule:

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of additional tax specified in the said Schedule.

- (2) The additional tax in respect of a public service vehicle owned or controlled by a State Transport undertaking shall be levied and paid in accordance with the formula specified in the Fifth Schedule.
- (3) In case of the public service vehicle plying under permits granted by authorities having jurisdiction outside Uttaranchal for inter-State route partly lying in Uttaranchal the additional tax shall be according to Sixth Schedule. Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of additional tax specified in the said Schedules.
- (4) Where any reciprocal agreement relating to taxation of public service vehicle by road is entered into between the Government of Uttaranchal and any other State Government or a Union Territory, the levy of additional tax under the sub-section (3) of this section shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the additional tax so levied shall not exceed the additional tax, which could have otherwise been levied under this Act.

- (5) Where a public service vehicle is wholly or partially exempted from the payment of additional tax by or under this Act a surcharge for the purpose of the fund established under section 8 shall be levied on its operator at the rate of five per cent of the additional tax that would have been payable on such vehicle had it not been so exempted and such amount shall be credited to the said Fund.
7. For the purpose of determining the amount of the tax payable in respect of transport vehicle under the First Schedule or for determining additional tax payable under the Fourth Schedule all routes in Uttaranchal shall be classified by the prescribed authority as "A-Class" routes or "B-Class" routes in such manner as may be prescribed. Classification of routes for determining tax or additional tax
8. (1) For the purpose of providing relief to the passengers or other persons suffering casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or to heirs of such passengers or other persons, the State Government shall establish a fund to be known as the "Uttaranchal Road Transport Accidents Relief Fund". The surcharge levied under sub-section (3) of section 6 and an amount equivalent to one out of twenty one parts of the additional tax levied under sub-sections (1) and (2) of section 6 shall be credited to the said Fund. Accident Relief Fund
- (2) The fund established under sub-section (1) shall be administered and utilised in such manner, as may be prescribed.
9. (1) Subject to the provisions of section 11-- Payment of tax and penalty
 - (i) the tax payable under sub-section (1) of section 4 shall be paid at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988;

Provided that in respect of an old motor vehicle, the tax shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year;

- (ii) the tax payable under sub-section (2) of section 4 shall be payable in advance for each quarter at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year;

Vehicles not to be used in Uttaranchal without payment of tax

- (iii) the additional tax payable under clause (a) of sub-section (1) of section 5 shall be payable in advance on or before the 15th day of January, April, July and October in each year.
- (iv) (a) the additional tax under section 6 (other than a case to which sub-clause (b) applies) shall be payable in advance on or before fifteenth day of each calendar month at the rate of one-third of the rate specified in the Fourth Schedule;
- (b) the additional tax payable under section 6 in respect of vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fairs and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties shall be paid at the time of issuance of such temporary permit.
- (2) When any person transfers a motor vehicle registered in his name to any other person, then without prejudice to the liability of the transfer or in this regard, the transferee shall be liable to pay the arrears of tax, additional tax and penalty, if any, in respect of the motor vehicle so transferred, due on or before the date of its transfer, as if the transferee was the owner of the said motor vehicle during the period for which such tax, additional tax or penalty is due.
- (3) Where the tax or additional tax in respect of a motor vehicle is not paid within the period specified in sub-section (1), in addition to the tax or the additional tax due, a penalty at such rate not exceeding twenty five per cent of the due amount, as may be prescribed, shall be payable, for which the owner and the operator if any shall be jointly and severally liable.
- (4) In computing the amount of tax, additional tax or penalty under this Act the amount shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say a fraction of a rupee being fifty paise or more shall be rounded off to the next higher rupee and any fraction less than fifty paise shall be ignored.
10. (1) Notwithstanding anything contained in section 9, no transport vehicle shall ply in Uttaranchal:
- (a) under a temporary/ permanent permit granted under the Motor Vehicle Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside Uttaranchal unless there has been paid in respect thereof -
- (i) a tax under section 4 calculated at the appropriate rate specified in the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttaranchal;
- (ii) an additional tax for a public carrier under section 5 or in case of a contract carriage under section 6, as the case may be,
- (iii) an additional tax for a stage carriage plying on an interstate route under an agreement between two states, under section 6.
- (b) under a national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the said Act by an authority having jurisdiction outside Uttaranchal unless there has been paid in respect thereof an additional tax under section 5 calculated at the rate specified in clause (B) of the third Schedule, in the manner prescribed.
- (c) under a permit granted under sub-section (9) of section 88 of the said Act read with the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 by an authority having jurisdiction outside Uttaranchal unless there has been paid in respect thereof additional tax under section 6 at the rate specified in sub-clause (b) of Article II of the Fourth Schedule, in the manner prescribed:

provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of additional tax specified in the said Schedules.

- (2) For the purpose of levy and payment of tax under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1), the tax payable for any two weeks or part thereof shall be 2/13th of the rate specified in the First Schedule.
- (3) If such vehicles covered under permanent/temporary permits from other states, is found plying without payment of payable taxes and additional taxes of Uttaranchal, penalty shall be equal to two times of each payable tax and additional tax, additionally.
- (4) Vehicles entering in Uttaranchal found plying without permit, Tax from such vehicles shall be realized as under—

(i) Motor Cab	Rs.600.00
(ii) Maxi Cab	Rs.750.00
(iii) Omni Bus	Rs.3000.00
(iv) Goods Vehicle	Rs. 3000.00

And the rate of monthly additional tax on such vehicle shall be as under and realized along with 25% (twenty five percent) penalty:-

- | | |
|-------------------|--|
| (i) Motor Cab | two times of the tax under sec.88(9) |
| (ii) Maxi Cab | two times of the tax under sec.88(9) |
| (iii) Omni Bus | two times of the tax under sec. 88(9) |
| (iv) Load Vehicle | two times of the payable monthly additional tax but minimum Rs. 2,000.00 |
- (5) Private vehicles being found operated as commercial vehicles, on these vehicles payable additional tax/tax shall be (on every challan or seizure)

s.no.	the form of unauthorised operation	Tax payable (Rupees)	Additional Tax Payable (Rupees)
1	As Taxi/ motor cab	1500.00	2000.00
2	As Maxi cab	2000.00	4000.00
3	Private service vehicle plying on hire and reward	3000.00	8000.00
4	Tractor (Trailer attached) carrying non agricultural goods	2000.00	4000.00

11. When, in respect of a transport vehicle, the tax or the additional tax becomes payable for the first time after the commencement of a quarter, the tax or additional tax payable under section 4 or section 5 or section 6, as the case may be, shall be one-third of the appropriate quarterly tax for each calender month or part thereof in respect of which the tax or additional tax is payable.

Amount payable on liability occurring for the first time

12. (1) When any person who has paid the tax in respect of a transport vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer in the prescribed manner that the motor vehicle in respect whereof such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one month or more since the tax was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to one-third of the rate of quarterly tax payable in respect of such vehicle for each complete calender month of such period for which such tax has been paid;

Non-use of vehicle and refund of tax (Applicable Under Sec. 4, 5 and 6 equally)

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

- (2) Where the operator or, as the case may be, the owner of a motor vehicle, does not intend to use his vehicle for a period of one month or more he shall, before the date the tax or additional tax, as the case may be, is due, surrender the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the motor vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer of the region where the tax or additional tax was last paid and on such surrender, no tax or additional tax under this Act shall be payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of the period during which the vehicle remains withdrawn from use and the aforesaid documents remain surrendered with the Taxation Officer.

Provided that in case such vehicle is found plying during the period when it documents as mentioned in this sub-section remain surrendered with the Taxation Officer, such owner or operator, as the case may be, shall be liable to the tax as if the said documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty payable under sub-section (3) of section 9.

- (3) Where the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof one-time tax has been paid under this Act proves to the satisfaction of the Taxation Officer in prescribed manner that such motor vehicle has not been used for a continuous period of one month or more, he shall be entitled to a refund of such tax at the rates specified in Part 'A' of the Second Schedule for the said period.

Provided that no such refund shall be admissible, unless the certificate or registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle are surrendered by the owner with the Taxation Officer.

Provided further that the total amount of refund under this sub-section shall not exceed the one-time tax paid under this Act.

- (4) In calculating the amount of refund under sub-section (3) any portion of the period being less than a calendar month, shall be ignored.
- (5) The owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof one-time tax has been paid under this Act shall be entitled to refund of such tax at the rate specified in Part 'B' of the Second Schedule on the ground that he has, after payment of such tax, paid tax in respect of such vehicle under any enactment relating to any tax on motor vehicles in any other State or Union Territory as a consequence of such vehicle having been brought over permanently to such other State or Union Territory or that such motor vehicle has been converted into a transport vehicle or that the registration of such motor vehicle has been cancelled.
- (6) Where any person who has paid the tax other than one-time tax in respect of an old motor vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one calendar month or more since the tax or installment was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to one-twelfth of the rate of annual tax payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of such period for which such tax has been paid :

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

- (7) An operator of a transport vehicle entitled to any refund of tax under sub-section (1), shall also be entitled to refund of such portion of the additional tax paid under section 5 or, as the case may be, under section 6, is attributable to the period for which he is entitled to refund under sub-section (1); and the amount of such refund shall be calculated on the same principle as is laid down in the said sub-section.
- (8) Where the operator, or as the case may be, the owner of a motor vehicle is unable to use his motor vehicle due to an accident of the said vehicle and the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the said vehicle and the permit, if any are surrendered to the Taxation Officer within a week from the date of such accident together with a copy of the first information report, such surrender shall be deemed to have been made on the date of the accident.
- (9) In case of non use of any passenger or goods vehicle due to any accident or due to detainment under any act for any specific period in police station; on an application presented before the Competent Authority within prescribed time period along with sufficient evidence, the non use of the vehicle can be accepted for a period of complete calendar month or such months by the Competent Authorities. The Competent Authorities are prescribed in accordance with tax liability limits as below, who may accept the applications from the owner/in charge of the vehicle.

1- Up to Rs. 10,000.00	Asstt. Regional Transport Officer/Tax Officer (Having Jurisdiction)
2- Above 10,000.00 & Up to Rs 20,000.00	Regional Transport Officer (Having Jurisdiction)
3- Above 20,000.00 & Up to Rs.30,000.00	Addl. Transport Commissioner or Deputy Transport Commissioner nominated by the Transport Commissioner
4- Above Rs. 30,000.00	Transport Commissioner

After thorough investigations, the non use of the vehicle and liability of Tax or Additional Tax, may be decided by the competent authority.

13. (1) The owner or operator of every motor vehicle shall make a declaration in respect of it in the prescribed form and shall deliver the declaration within the prescribed time to the Taxation Officer and shall pay to him the tax or the additional tax which he appears by such declaration to be liable to pay in respect of such vehicle, as required by or under this Act. Declaration by person keeping vehicle for use
- (2) Where a motor vehicle is altered so as to render the owner or operator thereof liable to payment of enhanced tax or additional tax under section 14, such owner or operator shall make, within the prescribed time, an additional declaration in the prescribed form showing the nature of the alteration made and shall deliver it to the Taxation Officer and shall pay to him the difference in tax or additional tax payable under section 14.
14. Where any motor vehicle in respect of which the tax or additional tax has been paid is altered in such manner as to cause the vehicle to become a vehicle in respect of which a higher rate of tax or additional tax is payable, the owner or operator thereof shall in respect of such vehicle be liable jointly and severally to pay the difference between the amount of tax or additional tax payable after its being so altered. Payment of difference in tax

- Record of payment of the tax in the certificate of registration and grant of token.-
15. (1) The Taxation Officer shall record the payment of tax in the certificate of registration granted in respect of the motor vehicle and in the case of a transport vehicle shall also issue a token in the prescribed form.
(2) The Taxation Officer shall record payment of additional tax under section 5 or section 6, as the case may be, in the certificate prescribed in this behalf, to be issued by him.
- Power to stop vehicle and enter.
16. The driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to stop and remain stationary when required so to do by the Taxation Officer, or any other Officer authorized by the State Government in this behalf, in order to enable him to carry out any duty imposed on him by or under this Act and such authority or other officer may also enter the vehicle and travel in it for doing so.
- Time table to be furnished
17. (1) Every operator of stage carriage shall, within such time and in such manner as may be prescribed, furnish to the Taxation Officer a table regulating timings of arrival and departure of his stage carriage, as well as the number of single trips made in a quarter and such other particulars connected with his business, as the Taxation Officer may, by order, from time to time, require.
(2) Any alteration in the timings or particulars referred to in sub-section (1), shall be intimated by the operator to the Taxation Officer within fifteen days of such alteration taking effect.
- Appeal.
18. (1) Any person aggrieved by an order of the Taxation Officer made under section 12 may, within thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the Appellate Authority.
(2) The Appellate Authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard pass such orders as it thinks fit.
(3) Every order made by the Appellate Authority in an appeal under sub-section (1) shall be final.
- Punishment of offences
19. Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and for the second or subsequent similar offence, be punishable with fine which may extended to one thousand rupees :
Provided that no court shall, except for reasons to be recorded in writing, impose a fine of less than five hundred rupees for any such second or subsequent offence.
- Recovery of Tax
20. (1) Arrears of any tax or additional tax or penalty payable under this Act shall be recoverable as arrears of land revenue.
(2) The tax, the additional tax and penalty payable under this Act shall be first charge on the motor vehicle including its accessories, in respect whereof it is due.
- Power to enforce attendance of witnesses etc
21. The appellate authority, or the Taxation Officer making any inquiry under this Act shall have all such power as are vested in a civil court while trying a civil suit, in respect of,-
(a) the summoning and enforcing of attendance of witnesses, and examining them on oath or affirmation or otherwise and the issue of commission or request to examine witnesses ;
(b) compelling anyone for the production of any document ; and
(c) punishing persons guilty of disobedience of orders issued in exercise of such powers referred to in the preceding clauses.
- Detention of Transport vehicle in case of non-payment of tax
22. (1) Where an officer authorized by the State Government in this behalf, has reason to believe that a transport vehicle has been or is being used by a person without payment of tax, additional tax or penalty if any, he may seize and detain the transport vehicle and for the purpose take, or cause to be

taken, such steps as may be considered, by him necessary, for the safe-custody of the transport vehicle and, in particular, require the driver of such vehicle to convey it to the nearest police station or any other place specified by him; where the custody of the vehicle shall be taken by the Police and shall keep until the order of release of the vehicle is received from a Competent Authority.

Provide that the officer seizing the vehicle, shall, within forty-eight hours of such seizure, send a report of such seizure to the concerned Taxation Officer.

- (2) A Transport vehicle seized or detained under this section shall be released by the Taxation Officer immediately on payment of the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof the vehicle was so seized or detained.
- (3) Where the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof a transport vehicle has been seized or detained under this section, is not paid under sub section (2) within the period of ninety days from the date of seizure or detention of the Vehicle, the Transport Commissioner may, without prejudice to any other action that may be taken under this Act, cause the vehicle to be sold by public auction in the manner prescribed and the sale proceeds of such vehicle shall be adjusted towards the tax, additional tax, the penalty or the other amount due in respect of such vehicle and the expenses, if any, of such auction and the balance, if any, shall be refunded to the owner or the operator of the vehicle.
23. No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done, any action taken or any order or direction issued by the State Government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by, or in relation to its or his functions under this Act. Bar of jurisdiction of courts
24. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, an offence punishable under this Act may be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Taxation Officer or any other officer empowered by the State Government in this behalf by notification, on realization of an amount equivalent to fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under this Act. Compounding of offences
- (2) When an offence is so compounded --
- (i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence;
- (ii) after the institution of the prosecution, the compounding shall amount to acquittal of the offender and no further proceedings shall be taken against the person of the same offence.
25. No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Taxation Officer. Cognizance of offences
26. (1) When any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time other offence was committed, was in charge of and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Offences by Companies

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager, or other officer of the company, such secretary, director, manager, or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation - For the purpose of this section -

- (a) "Company" means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and

- (b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of
action taken in
good faith

27. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers or servants in respect of anything which in good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Power of State
Government to
make rules

28. (1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for all or any of the following purposes, namely -

- (a) prescribing the manner and the form in which, and the authority to which, application for payment of tax or additional tax under this Act shall be presented.

- (b) prescribing the form of any certificate, declaration, notice, receipt or token and the particulars to be stated therein and the manner of exhibiting a token on a motor vehicle;

- (c) prescribing the manner in which, and the fees on payment of which, token or certificate may be granted or transferred under this Act;

- (d) prescribing generally the authorities by whom, and manner in which, any duties in respect of or incidental to the carrying into effect of the provisions of this Act, may be performed;

- (e) regulating the method of payment and recovery of the tax, additional tax and penalty;

- (f) regulating the manner in which exemptions from, and refunds of, the tax or additional tax may be claimed and granted;

- (g) Prescribing the fee for appeal and regulating the manner in which appeals may be instituted and heard;

- (h) Prescribing the manner of service of orders passed or notices issued under this Act;

- (i) Prescribing the time for, and manner of, furnishing the time table and other particulars under section 17;

- (j) Prescribing the manner in which routes are to be classified;

- (k) Prescribing the manner, which the Uttaranchal Road Transport Accidents Relief Funds shall be administered and utilised;

- (l) any other matter for which rules are to be or may be made.

Power to remove
difficulties

29. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient;

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both the Houses of State Legislature; and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (As applicable in Uttaranchal) shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttaranchal Act.
 - (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.
30. (1) U.P. Motor Vehicles Taxation Act 1997 (As applicable in Uttaranchal) is hereby repealed. *Repeal and savings*
- (2) Prior to formation of Uttaranchal State, without prejudice to the generally of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (As applicable in Uttaranchal), the repeal of the enactments referred to in sub-section (1) shall not affect any liability incurred before the date of such repeal and the proceedings under such enactment pending on the said date before any competent authority or court, and all proceedings relating to any such liability as aforesaid instituted after the commencement of this Act, shall be continued and disposed off as if this Act had not come into force.

FIRST SCHEDULE

(See Section 4)

PART "A"

Classification of vehicles other than transport vehicles with reference to which rates have been prescribed in Part B and C of this Schedule and Part A and B of the Second Schedule.

Article Description of Vehicles

- I. Motor Cycles (which term includes scooters and mopeds)-
 - (1) Not exceeding 80 Kilograms in weight, unladen :
 - (2) Exceeding 80 Kilograms in weight, unladen but not exceeding 500 Kilo grams unladen.
- II. (1) Vehicles not being Motor cycles, constructed and used solely for the conveyance of persons and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons, exclusive of the driver.
 - (2) Trailers drawn by vehicles covered by this Article.
- III. Vehicles including motor cycles, weighing more than 500 kilograms in weight, unladen, constructed or adapted for use for the conveyance of more than six persons, exclusive of the driver :-
 - (1) (a) not exceeding 2,000 kilograms in weight, unladen;
 - (b) exceeding 2,000 kilograms but not exceeding 3,000 kilograms in weight, unladen;
 - (c) exceeding 3,000 kilograms but not exceeding 4,000 kilograms in weight, unladen;
 - (d) exceeding 4,000 kilograms but not exceeding 5,000 kilograms in weight, unladen,
 - (e) exceeding 5,000 kilograms in weight, unladen.
 - (2) Trailers drawn by vehicles covered by this Article.

PART "C"

Rates of Tax (other than one-time tax) under provision to sub-section (1) of Section 4

Serial No.	Vehicles according to the Articles of Part "A"	Annual rate of tax
1	2	3
		Rs. P.
1	I (1)	90.00
2	II (2)	150.00
3	II (1)	500.00
4	II (2)	55.00
5	III (1) (a)	528.00
6	III (1) (b)	748.00
7	III (1) (c)	1034.00
8	III (1) (d)	1210.00
9	III (1) (e)	1210.00 + Rs. 484.00 for every 1,000 Kilograms or part thereof in excess of 5,000 Kilograms
10	III (2)	110.00

Provided that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol /diesel shall be double of the rates specified in Articles I,II and III of this part except in respect of the following classes of owners, namely :-

- an individual;
- a Municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar Panchayat or Kshetra Panchayat ;
- a University established by or under any law ;
- any recognized educational institution ;
- any public charitable trust ;
- any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notification :

PART "D"

Rates of Tax on Transport Vehicles under Sub-section (2) of Section 4

Article	Description of Vehicles	Rate of Tax per Quarter
1	2	3
I.	Vehicles plying for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers	Rs. P.
(1)	with seating capacity for not more than three persons exclusive of the driver;	95.00
(2)	with seating capacity for four persons exclusive of the driver;	185.00
(3)	with seating capacity for more than four but not more than six persons exclusive of the driver;	
(a)	three-wheelers	185.00
(b)	others;	230.00
(4)	with seating capacity for more than six persons but not more than twelve persons exclusive of the driver :	
(a)	if intended for use on "A-Class" route	350.00
(b)	if intended for use on "B-Class" route	(201.00)

PART "B"

Rates of one time tax on Petrol/ Diesel vehicles under sub-section (I) of Section 4

Rates of one time tax in Rupees

Sl. No.	Vehicle according to the Articles of Part "A"	Registered on or after the date 9.11.98	Registered in the year 1987 and on or after 1.1.88 upto 8.11.98	Registered in the year 1986	Registered in the year 1985	Registered in the year 1984	Registered in the year 1983	Registered in the year 1982	Registered in the year 1981	Registered in the year 1980	Registered in the year 1979	Registered in the year 1978	Registered in the year 1977 or prior thereto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I(1)	800.00	634.00	475.00	318.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2.	I(2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	163.00	163.00	163.00
3.	II(1)	2.5% of cost of vehicle or minimum 5,000.00	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00
4.	II(2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5.	III(i)(a)	2.5% of cost of vehicle	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6.	III(i)(b)	2.5% of cost of vehicle	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7.	III(i)(c)	2.5% of cost of vehicle	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00
8.	III(i)(d)	2.5% of cost of vehicle	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00
9.	III(i)(e)	2.5% of cost of vehicle plus 5324.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	12209.00 plus 4888.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	11108.00 plus 4453.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	10007.00 plus 4017.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	8906.00 plus 3582.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	7805.00 plus 3146.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	6703.00 plus 2710.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	5602.00 plus 2275.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	4501.00 plus 1839.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	3400.00 plus 1404.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	2299.00 plus 968.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	1198.00 plus 532.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms
10.	III(2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

Provided that the rate of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol or diesel shall be double of the rates specified against Articles I, II and III or this Part except in respect of the following classes of owners, namely :-

- (a) an individual;
- (b) a municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar Panchayat or Kshetra Panchayat;
- (c) a University established by or under any law;
- (d) any recognised educational institution;
- (e) any public charitable trust;
- (f) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notifications.

1	2	3
(5)	with seating capacity for more than twelve persons but not more than twenty persons exclusive of the driver;	
	(a) if intended for use on "A-Class" route;	
	(i) for the first twelve seats	350.00
	(ii) for every additional seat	30.00
	(b) if intended for use on "B-Class" route;	
	(i) for the first twelve seats	(201.00)
	(ii) for every additional seat	(8.00)
(6)	with seating capacity for more than twenty persons but not more than thirty five persons exclusive of the driver;	
	(a) if intended for use on "A-Class" route;	
	(i) for the first twenty seats	590.00
	(ii) for every additional seat	35.00
	(b) if intended for use on "B-Class" route;	
	(i) for the first twenty seats	(265.00)
	(ii) for every additional seat	(11.50)
(7)	with seating capacity for more than thirty-five persons exclusive of the driver :	
	(a) if intended for use on "A-Class" route	Rs1115.00 + Rs.45.00 for every seat in excess of thirty five seats
	(b) if intended for use on "B-Class" route	(Rs.438.00 + Rs.17.00) for every seat in excess of thirty- five seats
Explanation : For the purpose of this Article, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional capacity.		
II.	Vehicles plying for hire for the conveyance of limited number of passengers and the transport of a limited quantity of passengers goods, the tax payable under Article I in respect of the authorized number of passenger seats in addition to tax for every metric ton of the (gross vehicle weight) of the vehicle, or part thereof. Goods allowed as defined in M.V. Act 1988 U/s (2) Sub-section (13)	45.00
III.	Vehicles plying for transport of goods only excluding trailers attached to tractors, which trailers are used solely for agricultural purposes, for every metric ton of the (gross vehicle weight) of the vehicle, or part thereof;	
	(i) for one region;	70.00
	(ii) for more than one region	85.00
IV.	Tractor by which trailer is drawn and which is used for purposes other than agricultural purposes- tax in addition to the tax paid in respect of the trailers drawn by it :	45.00

Explanation :

- (1) Where any motor vehicle is used for various purposes or in such a manner as to cause it to be taxable under more than one Article on this Schedule, the tax payable shall be at the highest appropriate rate.

- (2) Where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Article I and II to this part be regarded as the equivalent of two passenger seats.
- (3) Every trailer attached to or drawn by a motor vehicle, which is taxable under any of the Article II, III and IV of this part be regarded as a separate motor vehicle liable to appropriate tax as specified in that Article.

SECOND SCHEDULE

(See Section 12)

PART "A"

Rates of refund of one time tax under sub-section (3) of Section 12

Serial No.	Vehicles according to the Articles of Part "A" of the First Schedule	Amount to be refunded for each month of non-use of the motor vehicle (in Rupees)
1	2	3
1	I(1)	3.00
2	I(2)	5.00
3	II(1)	20.00
4	II(2)	2.00
5	III(1)(a)	24.00
6	III(1)(b)	34.00
7	III(1)(c)	47.00
8	III(1)(d)	55.00
9	III(1)(e)	55.00 + Rs.22.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms.
10	III(2)	5.00

Provided that the rates of refund shall be double of the amounts specified above in respect of all, vehicles in respect where of tax at double rate have been paid under the provision of Part "B" of the First Schedule.

PART "B"

Rates of refund of one-time tax under sub-section (5) of Section 12

Amount to be refunded (in Rupees) in case the age of the vehicles from the month of its original registration is

Sl. No.	Vehicle according to the Articles of Part "A" of 1st Schedule	Not more than one year	more than one year but not more than two years	more than two years but not more than three years	more than three years but not more than four years	more than four years but not more than five years	more than five years but not more than six years	more than six years but not more than seven years	more than seven years but not more than eight years	more than eight years but not more than nine years	more than nine years but not more than ten years	more than ten years but not more than eleven years
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I(1)	475.00	317.00	158.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	I(2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	NIL	NIL	NIL
3.	II(1)	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00	NIL
4.	II(2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	NIL
5.	III(i)(a)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	NIL
6.	III(i)(b)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	NIL
7.	III(i)(c)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	NIL
8.	III(i)(d)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	NIL
9.	III(i)(e)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	NIL
		plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus
		4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	968.00	532.00	
		for every	for every	for every	for every	for every	for every	for every	for every	for every	for every	
		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	
		or part	or part	or part	or part	or part	or part	or part	or part	or part	or part	
		thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	
		excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	
		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	Kilograms	
10.	III(2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	NIL

Provided that the rates of refund shall be double of the amounts specified above in respect of all vehicles in respect whereof tax at double rate has been paid under the provisions to Part "B" of the first schedule.

THIRD SCHEDULE

(See Section 5)

Rates of additional Tax on goods carriages

(A) Additional tax on Goods Carriages operating on hill routes and plain routes:

Article	Area of Operation	Rate of Additional tax per quarter
1	2	3
I.	Hill routes	Rs.210.00 per metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.
II.	Plains routes of U.A.	Rs.85.00 per metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.

Provided that the rate of additional tax in respect of the goods carriages carrying exclusively agricultural produce, minerals and petroleum goods shall be half of the rates specified against Articles I and II

Explanations :

- (1) Where any motor vehicle is taxable under more than one Article of this Schedule, the Additional Tax is payable at the highest appropriate rate.
- (2) The term "hill routes" means all roads lying within Pithoragarh, Almora, Chamoli, (Uttarkashi, Rudra Prayag, Champawat, Bageshwar, and Tehri Garhwal) districts. Tehsil Chakrata of Dehradun district and those portion of Nainital, Udham Singh Nagar and Garhwal districts which lie on the north of the base of foot hills from Tanakpur in the east right along Kathgodam, Ramnagar, Kotdwara to Luxman Jhula in the West and also all roads beyond municipal limits of Dehradun town towards Mussoorie side.
- (B) Additional Tax on a goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by a State other than the State of Uttaranchal or a Union Territory shall be Rs.5,000.00 for each year or part thereof.

FOURTH SCHEDULE

(See section 6)

Rates of Additional Tax on stage carriage.

Article-1

(a) The rate of additional tax per seat

sl. no.	Distance run in a quarter (in Kms.)	Amount of Quarterly Tax (For every type of classified route)
1	Upto 4500 Kms.	For plain routes Rs. 154.00 per seat For Hill routes Rs. 146.00 per seat
2	For each Kilometer exceeding 4500 Kms.	Rs. 0.04 per seat per Kilometer to be added to amount of sl. no. 1

Provided that the additional tax on a state carriage operating within the limits of a corporation or a municipality shall be Rupees 4620/- per quarter in respect of a stage carriage having not more than 35 seats and Rupees 6,600/- per quarter in respect of a stage carriage having more than 35 seats.

(b) Rates of additional tax on stage carriages covered by temporary permits issued for the conveyance of passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings and for marriage parties, tourist parties or such other reserved parties.

- | | |
|---|---|
| (i) for vehicles with seating capacity for not more than 42 persons exclusive of the driver and conductor | Rs.200.00 per day in addition to the tax payable under clause (a) of Article I for the number of days for which the temporary permit is issued. |
| (ii) For vehicles with seating capacity for more than 42 persons, exclusive of the driver and conductor | Rs.225.00 per day in addition to the tax payable under clause (a) of Article I for the number of days for which the temporary permit is issued. |

Provided that the rates of additional tax on express, semi-deluxe, deluxe and air conditioned stage carriage shall be --

- | | |
|----------------------|--|
| (i) express | Five percent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be. |
| (ii) semi deluxe | Eight per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be. |
| (iii) deluxe | Twenty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be. |
| (iv) air conditioned | Fifty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be. |

(Provided further that for calculation of additional tax under clause (b) the number of days a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account)

Article 2.

- (a) covered by permits issued under section 74, 87 and of sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by authorities having jurisdiction within Uttaranchal (not covered by any temporary/permanent stage carriage permit):-

Sub-clause.	Type of vehicle	Rate of Additional Tax per seat per month (in rupees)
1	Motor Cab with seating capacity not more than three exclusive of driver	30.00
1-a	Three wheeler Motor Cab with seating capacity more than three persons but not more than six persons exclusive of the driver	30.00
1-b	Motor Cab other than specified in sub-clause (I) and (I-a)	85.00
2	Maxi Cab	125.00
3	for vehicles with seating capacity more than 12 persons but not more than 20 persons exclusive of the driver and conductor	160.00
4	for vehicles with seating capacity more than 20 persons but not more than 41 persons exclusive of the driver and conductor.	160.00
5	for vehicles with seating capacity of 42 persons and above exclusive of the driver and conductor	160.00
6	for Semi deluxe bus	200.00
7	for deluxe bus	225.00
8	for air conditioned bus	255.00

(b) In respect of contractual vehicles covered by permits issued by the authorities other than the authorities having jurisdiction in Uttaranchal under sub-sec (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988.

	Amount of Quarterly Tax (in Rupees)
(i) Motor Cab	900.00
(ii) Maxi Cab	5,100.00
(iii) Omni Bus (including upto 42 seat Deluxe Air Conditioned)	15,000.00

Explanations : (1) The total quarterly tax payable under this Schedule on a stage carriage shall be such number of times of the rates given under Articles I above, as the maximum number of seats permitted by the Registering Authority under the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988. For this purpose, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, of a stage carriage shall be reckoned as additional seating capacity, with the fraction of a seat being counted as one seat.

(2) The quarterly run distance of a stage carriage under sub-clause (a) of the Articles I of this Schedule shall be such numbers of one way trips as are permitted under the conditions of the permit multiplied by the total kilometers involved in one such trip.

(3) Until such time as the timings and trips are fixed by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, an operator shall pay additional tax on the quarterly run distance to be arrived at on the basis of trips operated by the vehicle prior to the enforcement of this Act.

(4) 'Express Stage-carriage' means a stages carriage which -

(a) operates on a route length of not less than 200 kilometers and stops only at District and Tehsil headquarters.

(b) conforms to the following specifications :-

(i) should have a minimum area of 40x38.5 centimetres measured on the straight lines along and at right angle to the front of each seat;

(ii) should be provided with 9 centimetre thick seat cushion;

(iii) should be provided with back rest of height of 56 centimetres with 2.5 centimetres thick cushion with terrycot rexine cover and head rest of 40/15.24 centimetres x 23 centimetres.

(II) Seating arrangement : Seating layout should be three and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 66.2 centimetres between the back of seats within 28 Centimetres leg space.

(III) Windows : 113 centimetres wide fitted with safety glasses conforming to the specifications laid down in Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules 1989.

(IV) Drive's Cabin : Drive's Cabin should be half partitioned, and

(V) Should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube-lighting.

(5) Semi-deluxe stage carriage means a stage carriage with conforms to the following specifications :-

(1) each passenger's seat :-

(i) should have a minimum area of 40x40 centimetres on the straight lines along and at the right angle to the front of each seat;

(ii) should be provided with seat cushion of 9 centimetres;

(iii) should be provided with back rest of the height of 61 centimetres with 5 centimetres thick cushion with foam rexine cover and head rest of 40/17.78 centimetres x 26.67 centimetres.

- (II) Seating arrangement : Seating layout should be three and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 71.2 centimetres between the back of seats with 30 centimetres leg space.
- (III) Windows : 142.5 centimetres wide fitted with safety glasses conforming to the specifications laid down in rule 100 of Central Motor Vehicles rules 1989.
- (IV) Driver's Cabin : Driver's cabin should be half partitioned, and
- (V) Should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube lighting.
- (6) "Deluxe stage carriage" or "Deluxe bus" means a bus which conforms to the following specifications :
- (I) Each passenger's seat -
- should have a minimum area of 45.8x45.8 centimeters measured on the straight lines along and at the right angle to the front of each seat;
 - should be provided with seat cushion of 10 centimeters;
 - should be provided with back rest of the height of 71.2 centimeters with 5 centimeters thick cushion with foam rexine cover or tapestry cover and head rest of 40/17.78 centimeters x 26.67 centimeters.
- (II) Seating arrangement : Seating layout should be two and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 71.2 centimeters between the back of seats with 38 centimeters leg space.
- (III) Windows : 142.5 centimeters wide fitted with filmed safety glasses conforming to the specifications laid down by the Bureau of Indian Standards.
- (IV) Driver's Cabin : Driver's cabin should be half partitioned, and
- (V) Should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube lighting.
- (7) For the purposes of this schedule, seat will not include the drivers and the conductor's seat.
- (8) Where any motor vehicle is taxable under more than one of the Articles of this Schedule, the additional tax payable shall be at the highest appropriate rate.
- (9) Hills mean and includes -
- district of Pithoragarh, Almora, Chamoli, Uttarkashi, Rudra-Prayag, Champawat, Bageshwar and Tehri Garhwal;
 - Tehsil of Chakrata of district Dehradun;
 - those portions of Nainital, Udham-Singh Nagar and Garhwal districts which lie on the north of the base of foot hills from Tanakpur in the east right along Kathgodam, Ramnagar, Kotdwara to Laxman Jhula in the west; and
 - area lying towards Mussoorie outside the municipal limits of Dehradun.
- (10) (a) In this Schedule, the expressions 'Corporation' and 'Municipality' shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (As applicable in Uttaranchal), and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (As applicable in Uttaranchal).
- (b) The public-service vehicle which plies under a contract either in any Industrial Establishment/ Educational Institution under a valid permit thereof to transport its staff and school going children within the limits prescribed in the permit for the vehicle, the Additional Tax shall be liable at the rate below on quarterly basis-
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (i) Upto 35 seats | Rs.4620.00 (including driver) |
| (ii) above 35 seats | Rs.6600.00 (including driver) |



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2011 ई0

बैशाख 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/XXXVI(3)/2011/22(1)/2011

देहरादून, 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित -

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
(2) यह दिनांक 08.05.2010 से प्रवृत्त होगा।

धारा 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

“(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन, जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान कर दिया है, को छोड़कर कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति-

(क) उत्तराखण्ड के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) उत्तराखण्ड में अंशतः पडने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए उत्तराखण्ड के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के सम्बन्ध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा;

परन्तु यह कि इस प्रकार उद्गृहीत अतिरिक्त कर, उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता।”

धारा 10 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

“(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।”

तृतीय अनुसूची का संशोधन

4. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची का खण्ड (ख) निरसित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of “The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011” (Adhinyam Sankhya 16 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 181/XXXVI(3)/2011/22(1)/2011

Dated Dehradun, April 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011

[Uttarakhand Act No. 16 of 2011]

An

Act

to further amend the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003

Be it enacted in the Sixty-second Years of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on 08.05.2010.

Amendment of section 5. 2.

Section 5 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act) shall be substituted as follows; namely :-

“(1) Save as otherwise provided under by this Ordinance and except a goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of section 88 by a state other than the State of Uttarkhand or a Union Territory, which has paid the consolidated fee under rule 87 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 no goods carriage shall be operated in any public place in Uttarakhand, unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under section 4, an additional tax at the rate applicable to such goods carriage specified, as the case may be, in-

- (a) third schedule, in the case of the goods carriage playing under permits granted by authorities having jurisdiction within Uttarkhand;
- (b) sixth schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction outside Uttarakhand for inter State route party lying in Uttarakhand;

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty percent, the rates of additional tax specified in the said Schedules.

- (2) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttarakhand an any other State Government or a Union Territory, the levy of additional tax under the sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement;

Provided that the additional tax so levied shall not exceed the additional tax, which could have otherwise been levied under this Act.”

**Amendment
of section 10**

3. In place of clause (b) of sub-section (1) of section 10 of the principal Act, shall be substituted as follows; namely:-

“(b) under a national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the said Act by an authority having jurisdiction outside the State of Uttarakhand no goods vehicle shall be use in the State of Uttarakhand unless there has been paid in respect thereof an consolidated tax under rule 87 of the Motor Vehicle Rules, 1989, in the manner prescribed.”

**Amendment of
third Schedule**

4. Clause (b) of “Third Schedule” of the principal Act shall be repealed.

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.

जारी
6/10/14

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 12/ix-1/148(2010)/2014
देहरादून: दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2013) की धारा 1 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2014 की तारीख नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।



(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या- 12 (1)/ix-1/148(2010)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. उप निदेशक, राजकीय प्रेस रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 346/XXXVI(3)/2013/56(1)/2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

“उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013”

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2013)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 4 का संशोधन 2.

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में—

(1) उपधारा (1—क) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बढा दिया जायेगा; अर्थात्—

“परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी तीन पहिया मोटर कैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर तिमाही कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।”

(2) उपधारा (2) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बढा दिया जायेगा, अर्थात्,—

“परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटरकैब और मैक्सीकैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर मासिक कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।”

धारा 9 का
संशोधन

3.

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) एवं खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(दो) धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, तीन पहिया मोटर कैब के लिये एक तिमाही के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व, संदेय होगा;

“(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिये एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा;”

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।

No. 346/XXXVI(3)/2013/56(1)/2013

Dated Dehradun, October 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013**’ (Adhiniyam Sankhya 35 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 September, 2013.

The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013

(Uttarakhand Act No. 35 of 2013)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003(Uttarakhand Act No. 12 of 2003)

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Short title and commencement | 1. | <p>(1) This Act may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013.</p> <p>(2) It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.</p> |
| Amendment of section 4 | 2. | <p>The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003, hereinafter referred to as the principal Act, in section 4:-</p> <p>(1) In sub-section(1-A), after existence proviso, a new proviso shall be inserted as follows; namely-</p> <p style="padding-left: 40px;">" Provided further that in respect of a three wheeler Motor Cab under this sub-section quarterly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette."</p> <p>(2) In sub- section (2), after existence proviso, a new proviso shall be inserted as follows; namely :-</p> <p style="padding-left: 40px;">" Provide further that in respect of a Motor Cab and Maxi Cab under this sub-section monthly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette."</p> |

amendment of 3.
section 9

In sub-section (1) of section 9 of the principal Act for clauses (ii) and (iii) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) the tax payable under sub-section (1-A) of section 4, shall be payable in advance for one quarter in respect of three wheeler motor cab and for one year in respect of other vehicle at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the first calendar month of each quarter next following or before fifteenth day of the first calendar month of each year next following as the case may be;

(iii) the tax payable under sub-section (2) of section 4 shall be payable in advance for one month in respect of motor cab and maxi cab and for one quarter in respect of other vehicles at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following or before fifteenth day of the first calendar month of each quarter next following as the case may be."

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.